लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/90/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 05.08.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/373

श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 24.06.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 90/2021/(31.08)/752 दिनांक 05.08.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.08.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 31.08.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 90/2021 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ वगैरा

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः चाही गई सूचनाऐं निः शुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कोई कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किए। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/518 दिनांक 24.08.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 16.07.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 8 व 14 नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ से, बिन्दू संख्या 6 व 7 खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ से, बिन्दू संख्या 2, 3, 5 व 14 नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से तथा बिन्दू संख्या 1 व 4 तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत प्रार्थी प्रार्थना-पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/18 दिनांक 27.07.2021 से उक्त विभागों को अन्तरित की जाकर प्रार्थी को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से संपर्क कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 9, 10, 11, 12 एवं 13 से वांछित सूचना के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक होने से सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के उक्त पत्रांक से अवगत कराया जा चुका है। (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र कमांक/प-3(22) प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत यह व्याख्या प्रदान की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना

सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है।)

4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/518 दिनांक 24.08.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.06.2021 से वांछित सूचनाओं में बिन्दू संख्या 8 एवं 14 की सूचना सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़, बिन्दू संख्या 6 व 7 की सूचना खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़, बिन्दू संख्या 2, 3, 5 व 14 की सूचना आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ तथा बिन्दू संख्या 1 व 4 की सूचना तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है साथ ही आवेदन के बिन्दू संख्या 9 से 13 तक की सूचनाऐं प्रश्नात्मक होना भी बताया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचनाऐं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) से वांछित सूचनाऐं प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराई जाने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की बनती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 90/2021 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ वगैरा

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित करे कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचनाओं के संबंध में रेकार्ड का अवलोकन करा, बाद अवलोकन अपीलार्थी द्वारा सूचनाऐं चिह्नित करने पर उसे चिह्नित की गई सूचनाऐं निः शुल्क उपलब्ध करावें।

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./90/2021(सू.अ.)/972 दिनांकः- 08/09/2021

प्रतिलिपिः-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)